

धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने [धार्मिक स्थलों](#) पर लाउडस्पीकर के लिये स्थायी [ध्वनिप्रदूषण](#) नियंत्रण उपायों की जरूरत पर जोर दिया।

मुख्य बिंदु

- महत्वपूर्ण निर्देश
 - मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में ध्वनिस्तर को तय मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिये।
 - साथ ही उन्होंने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।
- हाईकोर्ट का निर्णय
 - न्यायालय ने स्पष्ट कथिा कि [प्रार्थना के लिये लाउडस्पीकर का उपयोग कोई कानूनी अधिकार नहीं है](#), क्योंकि इससे अन्य लोगों को असुविधा हो सकती है। अतः [लाउडस्पीकर का प्रयोग अधिकार की श्रेणी में नहीं आता](#)।
 - पूर्व में इलाहाबाद [उच्च न्यायालय](#) ने भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।
- ध्वनिप्रदूषण
 - किसी भी प्रकार की [असहज या अत्यधिक तेज़ आवाज़](#) को ध्वनिप्रदूषण कहा जाता है।
 - यह अनियमित कंपन वाला शोर होता है, जो [सुनने में अप्रिय](#) लगता है।
 - ध्वनि की तीव्रता को [डेसिबिल \(dB\)](#) में मापा जाता है और इसके स्तरों को निर्धारित करने के लिये एक [डेसिबिल पैमाना](#) प्रयोग किया जाता है।
 - [20 dB](#) तक की ध्वनि तीव्रता को [फुसफुसाहट](#) के समान माना जाता है।
 - [वशिव स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#) के अनुसार, [70 dB से कम की ध्वनि तीव्रता](#) जीवित प्राणियों के लिये हानिकारक नहीं होती, भले ही वह कतिनी भी लंबी अवधि तक बनी रहे।
 - हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति [85 dB से अधिक के शोर के संपर्क में](#) लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक रहता है, तो यह स्वास्थ्य के लिये जोखिमपूर्ण हो सकता है।
 - ध्वनिप्रदूषण के मुख्य स्रोतों में [तेज़ संगीत, परिवहन, निर्माण कार्य](#) आदि शामिल हैं, जो मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
 - इसके दुष्प्रभावों में [उच्च रक्तचाप, श्रवण विकलांगता, नींद संबंधी विकार और हृदय रोग](#) शामिल हैं।